



Neutral Citation No. - 2026: AHC:6110

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 42039 सन् 2025

अमजद

....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता :- अंकित श्रीवास्तव, च. दिल निसार

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अरिमर्दन यादव, को सुना गया तथा प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से दाखिल किया गया है जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 195 सन् 2025, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/21/29 एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के अंतर्गत, थाना गंगोह, जनपद सहारनपुर में जमानत पर रिहाई की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया है कि आवेदक के कब्जे से लगभग 280 ग्राम स्मैक बरामद होना आरोपित है, जो व्यावसायिक मात्रा से थोड़ा अधिक है। वास्तव में आवेदक से कोई ऐसी बरामदगी नहीं की गई। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चूँकि ऐसी बरामदगी किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा समर्थित नहीं है, इसलिए उसके मिथ्या रूप से फँसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 23.10.2025 को आरोप-पत्र दाखिल हो चुका है और दिनांक 04.11.2025 को सम्बन्धित न्यायालय द्वारा संज्ञान भी लिया जा चुका है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक को और किसी अभिरक्षा-पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। आगे यह अभिकथन किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का कठोरतापूर्वक पालन करने में विफल रहा है। रासायनिक विश्लेषक की कोई रिपोर्ट नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे अनावश्यक उत्पीड़न करने तथा उसे पीड़ित करने के उद्देश्य से वर्तमान अपराध में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इसी आधार पर आवेदक की सह-अभियुक्त मुसरत (आवेदक की पत्नी) को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 32133 सन् 2025 में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश द्वारा जमानत दी जा चुकी है, इसलिए आवेदक भी जमानत पर रिहा होने का अधिकारी है। आवेदक दिनांक 03.06.2025 से जेल में है। उनका कहना है कि आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक पूर्व-वृत्त नहीं है और रिहाई की दशा में उसके न्याय की प्रक्रिया से फरार होने अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। रिहाई की दशा में आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह अभिकथन करते हुए आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया कि नशीला पदार्थ आपूर्ति करने में संलिप्त आवेदक की निर्दोषता का निर्धारण विचारण-पूर्व चरण में नहीं किया जा सकता, इसलिए आवेदक कोई उदारता पाने का अधिकारी नहीं है। रिहाई की दशा में आवेदक पुनः इसी प्रकार की गतिविधि में संलिप्त होगा।

तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, आवेदक अमजद को, जो उक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित है, व्यक्तिगत मुचलके तथा दो जमानतदारों द्वारा समान राशि में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर मुचलका निष्पादित करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक विवेचना या विचारण के दौरान साक्षियों को डरा-धमकाकर/दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी स्थगन की माँग किए बिना विचारण में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा।
3. आवेदक जमानत पर रिहाई के पश्चात् किसी आपराधिक गतिविधि या अपराध के कमीशन में संलिप्त नहीं होगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मुचलके स्वीकार किए जाने से पूर्व आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, हैसियत एवं निवास का प्रमाण सम्बन्धित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाए।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

9 जनवरी, 2026

पीकेएस

Translated Version, Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।